न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारीः— सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः— 66/24 दायर दिनांक 08.08.2024

1 माला पिता सालु डामोर जाति डामोर (गुजराती) उम्र बालिग निवासी रास्ता फला खरपेडा त. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।

—वादी

बनाम

1 जेतु डामोर पिता पुंजा डामोर जाति डामोर (गुजराती) उम्र बालिग निवासी रास्ता फला खरपेडा तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर।

2 श्री राजस्थान सरकार जरिए भुमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् 88, 209 रा.का.अधिनियम

उपस्थित :—
वकील श्री श्रवण रावल वादी की ओर से।
वकील श्री कर्तव्य शाह प्रतिवादी सं. 01 की ओर से।
पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक : 10.06.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वाद के साथ सजरा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके अनुसार वादी के पिता सालु होकर श्री सालु के दो सताने पुजा व माला (वादी स्वय) होकर वादी के भाई पुंजा का देहान्त हो चुका है तथा पुंजा की दो संताने कालु व जेतु होकर कालु का भी ला औलाद देहान्त हो चुका है। वादी प्रतिवादी जेतु का काका होता है। वादी अपने भाई पुंजा डामोर का छोटा भाई है तथा वादी का जन्म वर्ष 1948 में हुआ है। वादी के भाई पुंजा डामोर और पिता सालु का देहान्त हो गया है। तथा पुंजा के दो संताने एक तो प्रतिवादी जेतु होकर दुसरी संतान कालु होकर कालु का भी ला—औलाद बिनावारिस छोडे देहावसान हो गया है जैसा कि उपर अंकित किया गया है। वादी के पुर्वज मुल रूप से गुजरात के निवासी थे तथा फिर राजस्थान मे रास्ता गाँव में आकर बस गए तथा पुर्वजों द्वारा यहाँ पर स्थित भुमि खसरा नम्बर 3179, 3503,3674, 3675, 3679, 3676, 3677, 3689, 3678, 3680, 3681, 3756, 3788, 3818, 3819, 3884, 3885 पर काश्त की जाने लगी तथा वक्त बन्दोबस्त 2008 उपरोक्त भुमि वादी के नाबालिक (वादी का जन्म वर्ष 1948 में होने के आधार वादी की वर्तमान आयु लगभग 76 वर्ष है तथा तथा संवत् 2008 यानि वादी के वाद प्रस्तुत किए जाने से 72 वर्ष पुर्व वाद प्रस्तुत करने की दिनांक को संवत् 2080 है) होने के कारण वादी के पिता द्वारा उपरोक्त भुमि प्रतिवादी के पिता पुंजा के नाम पर दर्ज करवा दी गई जबकि वादी नाबालिग होने के बावजुद अपने

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

भाई पुजा और पिता सालु के साथ इस भुमि पर काश्त करता था तथा आज दिनांक तक वादी का कब्जा काश्त बना हुआ है। वक्त बन्दोबस्त 2008 के पश्चात् वक्त बन्दोबस्त 2019 में भुमि के नम्बर परिवर्तित हुए तथा नवीन नम्बर मौजा खरपेडा पटवार हल्का रास्ता के 3250, 3964, 3965, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4248, 4318, 4319, 4396 दर्ज किए गए। वक्त बन्दोबस्त संवत् 2008 मे वादी के नाबालिग होने से तथा वादी के बालिग हो जाने पर वादी व वादी के भाई पुंजा द्वारा उपरोक्त भुमि पर संयुक्त रूप से काश्त की जाती रही है तथा पुंजा की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी जेतु द्वारा संयुक्त काश्त की जाती आ रही है और मोके पर कब्जा काश्त संयुक्त रूप से बना हुआ है तथा मोके पर मकानात आदि के निर्माण भी वादी के है। वादी को अपनी भुमि की नकले निकलवानी की आवश्यकता कभी नहीं पडी क्योकि वादी का भाई पुंजा समझदार व्यक्ति था और वादी और पुंजा द्वारा काफी समय तक सम्मिलित रूप से साथ रहकर जीवन निर्वाह किया तथा श्री पुंजा की मृत्यु से करीब पाँच वर्ष पुर्व ही यादी द्वारा प्रथक निवास प्रारंभ किया गया। वादी द्वारा अपनी उपरोक्त भुमि पर ऋण प्राप्ति हेतु नकले निकलवाई तो जानकारी में आया की उपरोक्त वादग्रस्त संपति जिसका वर्णन कॉलम सं. चार में किया गया है में वादी का खाते में नाम दर्ज नही है। वादी को आश्चर्य हुआ और वादी द्वारा यह बात प्रतिवादी सं. एक को बताई तो प्रतिवादी सं.एक वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने सहमत हो गया और पटवारी साहब के पास वादी व प्रतिवादी सं.एक दोनो गए तो पटवारीसाहब द्वारा न्यायालय के माध्यम से ही नाम दर्ज होने संबधी कथन किया गया।प्रतिवादी पुर्व में साथ आने तैयार था लेकिन अब अपनी बात से मुकर गया है जबकि प्रतिवादी जेतु जानता है कि वादी भी इस भुमि के 1/2 हिस्से काअधिकारी है उसका मोके पर कब्जा काश्त है तथावादी द्वारा भी भुमि को उसके पिता पुंजा के साथ मिलकर उपजाउ बनाया है तथा अपना काफी सारा धन लगाया गया है।उपरोक्त भुमि वादी द्वारा अपने पुर्वजों से प्राप्त भुमि है जिसमे वादी का भी काफी धन और श्रम लगा हुआ है तथा वादी भी खाते में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वाद ग्रस्त भुमि जो मौजा खरपेडा पटवार हल्का रास्ता के 3250, 3964, 3965, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4248, 4318, 4319, 4396 में स्थित है वादी के पुर्वजों से प्राप्त भुमि होने से उपरोक्त भुमि मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी जेतु का 1/2 हिस्सा कायम किया जाना तथा राजस्व रेकार्ड मे तदनुरूप इन्द्राज किया जाए और वादी तथा प्रतिवादी जेतु को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी जेतु की ओर से जवाब एवं आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर न्यायालय में वादी को अपना काका स्वीकार करते हुए बताया है कि वादी माला द्वारा एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद से प्रतिवादी जेतु पुर्ण रूप से संतुष्ट है

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादी माला का नाम वादग्रस्त आराजी में जोडा जाने पर कोई आपती नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है आपसी राजीनामा स्वीकार कर वाद को निर्णय कर डिकी किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी पुर्ण संतुष्ट है। हम दोनों पक्षों के बीच में आपसी राजीनामा हो चुका है। जो मौजा खरपेडा पटवार हल्का रास्ता के 3250, 3964, 3965, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4248, 4318, 4319, 4396 में स्थित है वादी के पुर्वजों से प्राप्त भुमि होने से उपरोक्त भुमि मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी जेतु का 1/2 हिस्सा कायम किया जाना तथा राजस्व रेकार्ड मे तदनुरूप इन्द्राज किया जाएप्रतिवादी के साथ वादी का नाम जोडने पर कोई आपती एवं उजरदारी नहीं है हम दोनों पक्षों आपसी राजीनामा स्वीकार कर वाद के अनुसार निर्णय कर डिकी किये जाने पर पुर्ण सहमत है। इस बाबत् प्रतिवादी जेतु ने शपथ–पत्र पेश किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की मौजा खरपेडा पटवार हल्का रास्ता के 3250, 3964, 3965, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4248, 4318, 4319, 4396 में स्थित है वादी के पुर्वजों से प्राप्त भुमि होने से उपरोक्त भुमि मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी जेतु का 1/2 हिस्सा कायम किया जाना तथा राजस्व रेकार्ड मे तदनुरूप इन्द्राज किया जाए। कब्जे एवं विधिक वारिसान का पैतृक आराजी पर जन्म से अधिकार निहित होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर मौजूद सेटलमेंट नक्शा प्रदर्श–1 में पूंजा पिता सालू अंकित है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है और खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी का बराबर का हक एवं अधिकार निहित है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी में वादी को मौजा खरपेडा पटवार हल्का रास्ता के 3250, 3964, 3965, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4248, 4318, 4319, 4396 में स्थित है वादी के पुर्वजों से प्राप्त भुमि होने से उपरोक्त भुमि मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी जेतु का 1/2 हिस्सा कब्जे एवं विधिक वारिसान का पैतृक आराजी पर जन्म से अधिकार निहित होने के कारण वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझता हूं।

:: आदेश ::

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा खरपेडा पटवार हल्का रास्ता के 3250, 3964, 3965, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4248, 4318, 4319, 4396 में स्थित है वादी के पुर्वजों से प्राप्त भुमि होने से उपरोक्त भुमि मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी जेतु का 1/2 हिस्सा कब्जे एवं विधिक वारिसान का पैतृक आराजी पर जन्म से

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार निहित होने के कारण वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने आदेश किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(सोनू कुमार गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा